रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
Delhi Gazette

सत्यमेव जयते

एस.जी.-डी.एल.-अ.-09062022-236424
SG-DL-E-09062022-236424

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 325]	दिल्ली, बुधवार, जून 8, 2022/ज्येष्ठ 18, 1944	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 128
No. 325]	DELHI, WEDNESDAY, JUNE 8, 2022/JYAISTHA 18, 1944	[N. C. T. D. No. 128

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

गृह–III विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 7 जून, 2022

सं0फा0 31/117/2021/गृह–III/2510.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं0 फा0 27/59–हिम (i) के साथ पठित भारतीय संविधान के अनुच्छेद 309 के प्रावधान द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद्द्वारा विधि विज्ञान प्रयोगशाला, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **वैज्ञानिक सहायक (साइबर फोरेंसिक)** के पद की भर्ती पद्धति को विनियमित करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :–

(i) इन नियमों को **वैज्ञानिक सहायक (साइबर फोरेंसिक)** विधि विज्ञान प्रयोगशाला भर्ती नियमावली, 2022 कहा जाए।

(ii) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर** :– उक्त पदों की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यता इत्यादि :– उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. अयोग्यता :– वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकता है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां यदि सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी वर्ग या श्रेणी के संबंध में इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकता है।

6. **बचाव**:– इन नियमों के संबंध में भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक एवं अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये प्रदान किए जाने वाले अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	**पदनाम**	:	**वैज्ञानिक सहायक (साइबर फोरेंसिक)**
2.	**पदों की संख्या**	:	24* (2022) * (परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर)
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केंद्रीय सेवा , समूह 'ग, अराजपत्रित, अलिपिकवर्गीय,
4.	**वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर**	:	स्तर – 5 (रुपये 29,200–92,300/–)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	गैर –चयन पद
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18–25 वर्ष के बीच* *यदि पद अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा भरे जाएगे तो, आयु सीमा 18 से 27 वर्ष के बीच होगी। (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु–सीमा में 40 वर्ष तक की छूट होगी।) **टीप** : आयु–सीमा निर्धारित करने के लिए निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं**	:	**अनिवार्य** :– (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर विज्ञान/कंप्यूटर एप्लीकेशन सूचना प्रौद्योगिकी/इलेक्ट्रॉनिक्स में विशेषज्ञता के साथ भौतिकी/साइबर सुरक्षा में निष्णात उपाधि; **या** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से कंप्यूटर अभियांत्रिकी/सूचना प्रौद्योगिकी/ इलेक्ट्रॉनिक्स एवं संचार अभियांत्रिकी /इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इलेक्ट्रिकल अभियांत्रिकी में बी0ई0/बी0टेक0। **वांछनीय** : (i) केंद्रीय/राज्य सरकार/केंद्र शासित प्रदेश/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अर्ध सरकारी /स्वायत्त संगठन/सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से विश्लेषण डिजिटल डेटा के क्षेत्र में

			विश्लेषणात्मक पद्धति / अनुसंधान का कार्य–अनुभव। (ii) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से संबंधित अनुशासन में पीएच.डी.। **टीप**–1 : अन्यथा सुयोग्य अभियार्थियों के मामले में, योग्यताएँ सक्षम प्राधिकारी द्वारा लिखित में कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए उनके विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	आयु : लागू नहीं शैक्षिक योग्यता : लागू
9.	**परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई है**	:	पदोन्नति पर – परीवीक्षा नहीं सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए – दो वर्ष **टीप** : अनिवार्य आरंभिक प्रशिक्षण की कम से कम दो सप्ताह की अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण की हो अथवा संवर्ग प्राधिकारी द्वारा यथानिर्धारित आवश्यक परिवीक्षा अवधि को पूर्ण करेगा।
10.	**भर्ती की पद्धति**	:	50 प्रतिशत पदोन्नति द्वारा जिसके न होने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा (अल्पकालिक संविदा सहित) दोनों के न होने पर सीधी भर्ती द्वारा 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/ स्थानांतरण द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / स्थानांतरण किया जाना है**	:	**<u>पदोन्नतिः–</u>** प्रयोगशाला सहायक (साइबर फॉरेंसिक) स्तर–4 में वेतन (25,500–81,100रूपये) में 5 वर्षो की नियमित सेवा के साथ। **<u>प्रतिनियुक्ति (आईएसटीसी)</u>** केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश/ मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थान/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम / अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संगठन के अंतर्गत कर्मचारी; (i) नियमित आधार पर समरूप पदधारी **अथवा** (ii) स्तर–4 (25,500–81,100रूपये) में पद पर नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात प्राप्त सेवा में 5 वर्षों की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग, विभाग में समकक्ष तथा सीधी भर्ती हेतु कॉलम संख्या 7 में निर्धारित शैक्षिक अर्हता रखता हो तथा केन्द्र/राज्य सरकार/केन्द्र शासित प्रदेश /सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रम /अर्ध–सरकारी/स्वायत्त संगठन/सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/संस्थान से डिजिटल आंकडों के विश्लेषण के क्षेत्र में विश्लेषणात्मक पद्धति/अनुसंधान में पांच वर्ष का अनुभव रखता हो। (भरक क्षेणी के विभागीय अधिकारी जोकि पदोन्नति की सीधी पंक्ति में है वो प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु विचारणीय नही होंगे। इसी तरह प्रतिनियुक्ति वाले भी पदोन्नति द्वारा नियुक्ति हेतु विचारणीय नहीं होंगे)। (प्रतिनियुक्ति/संविदा की अवधि केन्द्र सरकार के किसी अन्य संगठन/विभाग अथवा उसी में इस नियुक्ति से तुरंत पूर्ववर्ती किसी

			अन्य बाह्म संवर्ग में प्रतिनियुक्ति/ संविदा की अवधि सहित सामान्यतः 3 वर्षों से अधिक नहीं होगी । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु–सीमा आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।) **टीप :–** जिन कनिष्ठ अधिकारियों ने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है वे पदोन्नति के लिए विचारणीय है। उनके वरिष्ठ अधिकारी भी पदोन्नति के लिए विचारणीय होंगे बशर्ते कि उनके लिए अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा ऐसी अपेक्षित अर्हक/पात्रता सेवा की अवधि के आधे से न्यून या दो वर्ष से कम न हो और उन्होंने आगामी उच्च ग्रेड पर पदोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा अवधि अपने कनिष्ठ अधिकारियों के साथ सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो, जिन्होंने (कनिष्ठ अधिकारी) उतनी अर्हक / पात्रता पहले ही पूरी कर ली है।
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति विद्यमान हो तो इसकी संरचना क्या है।**	:	**समूह 'ग' विभागीय पदोन्नति समिति (स्थायीकरण/पदोन्नति पर विचारार्थ)** i. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा), – **अध्यक्ष** ii. निदेशक, विधि विज्ञान प्रयोगशाला राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार – **सदस्य** iii. उप–सचिव (वित्त) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार –**सदस्य** **टीप**: यदि अधिसूचित अध्यक्ष विभागीय पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य से कनिष्ठ है तो विभागीय पदोन्नति समिति का सबसे वरिष्ठ सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा
13.	**वे परिस्थितियॉ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर,

शैलेश कुमार, उप–सचिव (गृह)

HOME-III DEPARTMENT

NOTIFICATION

Delhi, the 7th June, 2022

No. F. 31/117/2021/Home-III/2510.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India read with the Government of India, Ministry of Home Affairs, Notification no. F-27/59-him (i) dated the 13th July,1959, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post Scientific Assistant (Cyber Forensic) in Forensic Science Laboratory, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement –

(i) These rules may be called the Scientific Assistant (Cyber Forensic) Forensic Science Laboratory Recruitment Rules, 2022.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and Pay Level in Pay Matrix – The number of the said post, its classification and pay level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc:- The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters connected therewith, shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification:- No person,

(a) Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) Who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with a person, shall be eligible for appointment to the said post.

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax:- Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:- Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions, required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Govt. of India from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of Post	Number of posts	Classification	Pay Level in the Pay Matrix	Whether Selection or Non Selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other Qualification required for direct recruits
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
Scientific Assistant (Cyber Forensic)	24* (2022) * (subject to variation dependent on workload)	General Central Service, Non-Gazetted, Non-Ministerial, Group-C	Level- 5 (Rs. 29200-92300/-)	Non-Selection	Between 18 years and 25 years * * In case of post being filled up by all-India Open Competition, it would be between 18 years and 27 years. (The upper age-limit is relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) Note: The crucial date of determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority.	Essential: (i) Master degree in Computer Science / Computer Application /Information Technology/ Physics with specialization in Electronics /Cyber Security from a recognized university/institute; OR B. E / B. Tech. in Computer Engineering / Information Technology / Electronics & Communication Engineering / Electronics & Electricals Engineering from a recognized university/institute. Desirable: (i) Work experience of analytical methods/research in the field of analysis of Digital Data from Central/State Govts./UTs/Public Sector Undertakings/Semi-Govt./Autonomous Organizations /Govt. recognized Universities/Institutions.

						(ii) Ph.D. in concerned discipline from a recognized university / institution. Note-1: Qualifications are relaxable at the discretion of the Competent Authority for reasons to be recorded in writings, in case of candidates otherwise well qualified.

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	**Period of Probation, if any**	**Method of Recruitment,**	**In case of recruitment by Promotion / Deputation / transfer grade from which promotion / deputation /transfer to be made**	**If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition**	**Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment**
8	**9**	**10**	**11**	**12**	**13**
Age – No Educational Qualification-Yes	On Promotion - No Probation Direct Recruits - Two Years Note:- Successful completion of mandatory Induction Training of at least 2 weeks duration or as prescribed by the Cadre Authority shall be a Pre-requisite for completion of probation.	50% by Promotion failing which by Deputation (Including Short-Term Contract) failing both by Direct Recruitment 50% Direct Recruitment	**<u>Promotion :-</u>** Laboratory Assistant (Cyber Forensic) in pay level-4 (Rs. 25,500-81,100) with 5 years regular service in the level. **<u>Deputation (ISTC):-</u>** Officials under the Central/State Government/Union Territories/Recognized Research Institutions/Public Sector Undertakings /Semi government / Autonomous organizations; (i). Holding analogous posts on regular basis OR (ii). With five years' service rendered after appointment to the post on a regular basis in the level 4 (25,500-81,100)- or equivalent in the parent cadre/department and possessing the educational qualifications prescribed for direct recruits under Column No. 7 and 5 Years' work experience in the field of analytical methods/research in the field of analysis of Digital	**Group "C"** Departmental Promotion Committee (for considering confirmation/promotion) (i) Pr. Secretary/Secretary (Power) - Chairman (ii) Director, FSL, GNCT of Delhi – Member (iii)Dy. Secretary (Finance), GNCTD - Member Note:- Senior most member of the Departmental Promotion Committee shall act as Chairperson in case notified Chairperson happens to be junior to another member of the Departmental Promotion C ommittee.	Not applicable.

			Data from Central/State Govts./UTs/ /Public Sector Undertakings /Semi-Govt. / Autonomous organizations/Govt. recognized Universities/Institutions. (The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (The period of deputation/contract including period of deputation/contract in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Govt. shall ordinarily not to exceed 03 years. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation including short-term contract shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications. **Note:-** Where juniors who have completed their qualifying/ eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying/eligibility service by more than half of such qualifying/eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade		

			along with juniors who have already completed such qualifying/eligibility service.		

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,

SHALESH KUMAR, Dy. Secy. (Home)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SURENDER MAHADASAM
Digitally signed by SURENDER MAHADASAM
Date: 2022.06.09 13:45:21 +05'30'